

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/193
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00186
CICOM/A/2017/00576

दिनांक: 27.06.2017

अपीलकर्ता : श्री राधेश्याम राजौरिया,
शिव विहार कालोनी,
निकट - मानसरोवर कालोनी साई अस्पताल के पीछे,
दिल्ली रोड, जनपद- मुरादाबाद - 244001.

निर्णय की तारीख: 22.06.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.05.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	140323/12.06.2017

- अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
- संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 01.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 से संबंधित अपीलकर्ता को प्रदान की गई सूचना कि "Your later/application dated 16/01/2017 is not available in your 2nd appeal case file No. CIC/VS/A/2014/003905-BJ के संबंध में अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ दिनांक 16.01.2017 के पत्र की प्रति भी संलग्न की है। अपीलकर्ता के दिनांक 16.01.2017 के पत्र की प्रति अपेक्षित कार्यवाही हेतु श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय को अग्रसारित की जा रही है।
- आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के प्रतिउत्तर में अपीलकर्ता को सूचना प्रदान की गई कि "Your case has been heard by Hon'ble IC Shri Bimal Julka on 26/12/2016, notice was sent on 02/12/2016, dispatched on 06/12/2016" के संबंध में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रदान की गई यह सूचना विल्कुल गलत है, यदि 06.12.2016 को डिस्पैच की गई है तो उसकी स्पीड पोस्ट की छाया प्रति उल्लेख कराएं। अतः इस आदेश के साथ स्पीड पोस्ट रजिस्टर के उस पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न है जिसमें अपील सं. CIC/VS/A/2014/003905-BJ का डिस्पैच विवरण स्पीड सं. ED451975909IN उपलब्ध है। इसप्रकार अपीलकर्ता का आरोप निराधार साबित होता है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

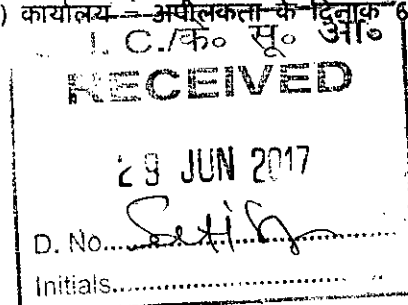
संलग्नक- यथापरि।

दीपेश
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, के.सू.आ., नई दिल्ली।
- श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय - अपीलकर्ता के दिनांक 16.01.2017 के पत्र की प्रतिलिपि अपेक्षित कार्यवाही हेतु संलग्न।



Am
29/06/17